Quest Journals
Journal of Research in Humanities and Social Science
Volume 11 ~ Issue 9 (2023) pp: 336-339
ISSN(Online):2321-9467
www.questjournals.org

Research Paper

ग्रामीण स्वशासन के संबंध में महात्मा गाँधी के विचारः एक अध्ययन

रूपेश रंजन
शोध छात्र इतिहास विभाग बी.एन.एम.यू. मधेपुरा बिहार

सार
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, महात्मा गांधी ने इस मुद्दे पर विचार करना शुरू किया कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सरकार को कैसे संरचित किया जाना चाहिए। उनका दृढ़ विश्वास था कि एक स्वतंत्र भारत की सरकार को लोकतांत्रिक रूप से संरचित किया जाना चाहिए। परन्तु लोकतंत्र किस प्रकार का? लोगों की प्रवृत्ति और उनके ऐतिहासिक विकास के जो अनुरूप हो उसी को ग्रहण करना और लोगों के परिचित सिद्धान्तों के आधार पर ही उसका निर्माण होना चाहिए। स्वाभाविक रूप से वे स्वतंत्र भारत में ऐसी शासन व्यवस्था देखना चाहते थे जो ग्राम पंचायतों की नींव पर आधारित हो। उनका कहना था कि ग्राम पंचायतों को नवजीवन और नई शक्तियाँ प्रदान की जानी चाहिए।

विस्तार

भारत के निवासी युग युगान्त से गाँवों में रहते आये हैं और आज भी अधिकांश लोग गाँवों में ही रहते हैं। प्रत्येक गाँव का समाज भूतकाल में अर्द्धस्वतंत्र प्रजातंत्र के रूप में संगठित था और सामान्य रूप में परिवारों के मुखियाओं यानी बुजुर्ग लोगों से बनी पंचयातों के द्वारा उनका शासन चलता था। कुछ जगह पंचायतों के चुनाव भी होते थे जिनमें मतदाता परिवारों के मुखिया ही होते थे। ये ग्राम समाज ज्यादातर आर्थिक रूप में स्वावलम्बी ही थे और जीवन की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्त्ति वहीं उत्पन्न या बनाई गई चीजों से कर लिया करते थे। उनकी आवश्यकताओं की पूर्त्ति के बाद उनका जो उत्पादन बच जाता वह शहरों और विदेशों के बाजारों में चला जाता रहा।

गाँधी जी की कल्पना के अनुसार स्वतंत्र भारत के नव निर्माण में पंचायतें अत्यन्त उपयोगी हो सकती हैं। इसकी उपयोगिता का आभास उन्होंने दक्षिण अफ्रिका से भारत लौटने पर दिया था। सन् 1915 में वे दक्षिण अफ्रिका से भारत लौटें, तभी से वे इस बात पर अधिक से अधिक जोर देते रहे कि गाँवों में ग्राम पंचायतों को फिर से जीवित करके उन्हें शक्तिशाली बनाया जाए तथा देश में ग्राम स्वराज्य की स्थापना की जाये। उनका यह पक्का विश्वास था कि सच्चा भारत उसके सात लाख गाँवों में निवास करता है और भारत का भविष्य तब तक उज्जवल नहीं होगा, जब तक ये सात लाख गाँव उसके जीवन में उचित भाग नहीं लेंगे। ग्राम स्वराज्य की उनकी योजना में ग्रामवासियों की आवश्यक जरूरतों के विषय में हर गाँव को स्वयं शसित और स्वयं पूर्ण बनाने वाली ग्राम प्रवृत्तियों का हर विभाग का समावेश होता था इन छोटे गणराज्यों में से कई की एक ठोस नींव पर पूरे राष्ट्र की स्थापना के लिए एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सहयोग करने के लिए और इसके लिए अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए बिना किसी बाधा के आगे बढ़ने के लिए।[1] इसका भारतीय जन मानस पर उपयुक्त प्रभाव पड़ा। पंचायतों के पुनर्गठन हेतु अनुकुल वातावरण प्रस्तुत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी इससे प्रभावित हुआ। पंचायतों का पुनर्गठन कॉंग्रेस अधिवेशनों का प्रमुख विचार बन गया। कांग्रेस जनों ने गाँव–गाँव के बड़े–बुढ़ों को दीवानी और फौजदारी ईंसाफ की सत्ता देकर पंचायत पद्धति की पुनः जिलाने का प्रयत्न पहले पहले 1921 में किया। किन्तु उनका प्रयास विफल हो गया। लेकिन उसके बाद उनलोगों ने दुबारा प्रयास किया।[2] उन लोगों का आगे भी प्रयास जारी रहा।

काँग्रेस जनों के द्वारा बार–बार पंचायत पुनर्गठन के प्रयासों एवं असफलता को देखकर सन् 1931 में महात्मा गाँधी ने पंचायत की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए इसे परिभाषित किया तथा व्यवस्थित ढंग से पंचायतों के पुनर्गठन के लिए उचित मार्ग दर्शन कराया। दिनांक 28.5.1931 को प्रकाशित यंग इण्डिया पत्रिका में उन्होनें उद्घोष किया–

''पंचायत हमारा बड़ा पुराना और सुन्दर शब्द है, उसके साथ प्राचीनता की मिठास जुड़ी हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ है गाँव के लोगों द्वारा चुने हुए पाँच व्यक्तियों की सभा यह इस पद्धति का सूचक है जिसके द्वारा भारत के बेशुमार ग्राम राज्यों का शासन चलता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने महसूल वसुल करने के अपने कठोर तरीकों से इन प्राचीन लोक राज्यों का लगभग नाश ही कर डाला है। वे इस महसूल वसुली के आघात को सह नहीं सके। अब काँग्रेस जन गाँव के बड़े बूढ़ों को दीवानी और फौजदारी इन्साफ की सत्ता देकर इस पद्धति को पुनः जिलाने का अधूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यह प्रयत्न पहले पहल 1921 ई0 में किया गया, लेकिन वह असफल रहा। अब वह दुबारा किया जा रहा है। लेकिन अगर वह व्यवस्थित और सुन्दर ढंग से, वैज्ञानिक तरीके से नहीं किया गया तो, फिर असफल रहेगा।[3]

महात्मा गाँधी की कल्पना के अनुसार ग्राम पंचायतों का संगठन केन्द्रीय सरकार या राज्यों की सरकारों द्वारा नही होना था। उनके अनुसार तो राज्यों की सरकारों और केन्द्रीय सरकार को ग्राम्य इकाइयों पर आधारित होना था न कि इसके विपरीत। गाँधी जी मानते थे कि जिस प्रकार आर्थिक ढाँचा विकेन्द्रित उद्योग पर आधारभूत होना चाहिए उसी प्रकार राज्य तंत्र का आधार भी सत्ता के अवक्रमण पर ही रहना चाहिए। इसके अलावा वे यह भी मानते थे कि ऐसी छोटी इकाईयों में ही लोकतंत्र सर्वाधिक प्रभावशाली हो सकता है, जहाँ लोग आसानी से मिलजुलकर विचार विनिमय कर सकें। सत्ता के केन्द्रीयकरण से तो वे सचमुच बहुत डरते थे। उसका तो अनेक केन्द्रों में अवक्रमण होना ही चाहिए। सर्वोत्तम शासन तो उनके अनुसार वही माना जायेगा जिसमें लोगों पर नियंत्रण कम से कम हो। दबाव के द्वारा अथवा जोर जबरदस्ती करके लोगों को सुखी बनाने में उनका विश्वास नहीं था। वे तो यही मामते थे कि अपने–अपने विचारों के अनुसार सभी लोग सुख प्राप्त करें। कोई ऐसा काम न करें जो समाज विरोधी हो। साथ ही वह यह भी मानते थे कि केन्द्र की सुदृढ़ता गाँवों में उसकी नींव के बल पर ही होनी चाहिए, उनके शोषण पर नहीं। स्वाभाविक रूप से इसका यही अर्थ है कि विधान सभाओं के चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति से होना चाहिए।

गांधीजी इस बात पर अड़े थे कि अगर गांवों को खत्म कर दिया जाए तो भारत तबाह हो सकता है।यह भारत नहीं होगा, पूरी दुनिया इसका संदेश सुनेगी। पंचायत राज को वे पूर्णतः गणतंत्र के रूप में देखते हैं। इस व्यवस्था में हर गाँव स्वावलंबी तथा स्वतंत्र होना चाहिए। इसके अन्तर्गत सभी क्रियाशीलताएँ सहकारी पद्धति पर आधारित होनी चाहिए। चूँकि पंचायत भारत की प्राचीनतम संस्था है अतः उसका फिर से प्रचलन देश में कोई नई बात नहीं होगी। पंचायतों के माध्यम से गाँव बड़े–बड़े कार्य कर सकते हैं। पंचायत के आधार पर खेती होने पर किसान खुशहाल होंगे। उनमें स्वावलंबन की भावना उत्पन्न होगी। ग्राम पंचायते भारत वर्ष की मंगलकारी संस्था है। भारत जैसे विशाल और गाँवो में फैले जनसमूह का कल्याण पंचायतों द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से किया जा सकता है। पंचायतों के द्वारा जब गाँवों की व्यवस्था होने लगेगी तो देहाती लोगों में स्वार्थ की भावना कम होगी और संगठन की भावना बढ़ेगी।

महात्मा गाँधी ने पंचायत का शाब्दिक अर्थ गाँव के लोगों द्वारा चुने गए पाँच आदमियों की सभा के रूप में बताया जिसे आगे चलकर विनोबा ने और अधिक स्पष्ट कर दिया। विनोबा ने पंचायत के पाँच सदस्यों को प्रस्तुत कर उन्हें पंचायत के अनिवार्य कर्त्तव्यों की ओर उन्मुख कर दिया। उनके अनुसार 'पंचायत का अर्थ है – पाँच व्यक्तियों की समिति' उस पंचायत के सदस्य पाँच होने चाहिए। पहला प्रेम, दूसरा निर्भरता, तीसरा–ज्ञान, चौथा–उद्योग और पाँचवा–स्वच्छता।[4] ग्रमीण पुनर्निमाण के लिये बिनोबा के पाँच सूत्री कार्यक्रमों की उपादेयता कदापि धूमिल नहीं हो सकती। ये पाँच सूत्र गाँधी के विचार की पंचायत भूतल पर प्रतिस्थापित करने के व्यवहारिक साधन हैं। इनमें चार अन्य सदस्यों को भी आज मिला देना अनुपयुक्त नहीं समझा जा सकता। चूँकि बिहार पंचायत राज अधिनियम 1947 के

अनुसार पंचायत की कार्यपालिका समिति के नौ सदस्य होते हैं। ये अतिरिक्त चार सदस्य हैं – छठा–सहभागिता, सातवा–सत्यवादिता, आठवाँ–निष्पक्षता एवं नौंवा–आत्मनिर्भरता अथवा स्वावलंबन इनके पंचायत के उद्देश्य एवं कर्त्तव्य निहित हैं। जिस पंचायत में ये नौ सदस्य पैदा ले लेंगे वह पंचायत इतनी अधिक समृद्ध समुन्नत, स्वावलंबी, सुदृढ़ एवं विवेकी बन जाएगी कि बापू के ग्राम स्वराज्य की कल्पना साकार हो जाएगी।

गाँधी के ग्राम स्वराज्य की कल्पना के चित्र का अवलोकन उन्हीं के शब्दों में इस प्रकार किया जा सकता है–

''ग्राम स्वराज के मेरे आदर्श के अनुसार, यह एक पूर्ण लोकतंत्र होगा जो अपने सबसे बुनियादी आवश्यकताओं के लिए भी अपने पड़ोसियों से स्वतंत्र होगा। यह मुत्त भी होगा और कई अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करेगा। इसलिए, प्रत्येक गाँव की पहली जिम्मेदारी यह होगी कि वह सभी अनाज और कपड़े के लिए कपास की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करे। उसके पास अच्छी तरह से रहने के लिए पर्याप्त उत्पादक संपत्ति होनी चाहिए और खेल के मैदान और मनोरंजन सुविधाओं सहित गांव के वरिष्ठों और युवा लोगों के लिए प्रावधान प्रदान करना चाहिए। उसके बाद भी यदि भूमि उपलब्ध रही तो वह वहाँ बहुमूल्य फसलें लगाएगा जिसे बेचकर वह लाभ कमा सकेगा।

प्रत्येक समुदाय में एक ड्रामा क्लब, एक स्कूल और एक असेंबली हॉल होगा। गांव में सभी को साफ पानी उपलब्ध होगा। सभी लोगों को कम से कम बुनियादी शिक्षा के अंतिम स्तर को पूरा करने की आवश्यकता होगी, और जहां तक संभव हो, गांव की सभी गतिविधियों के लिए सहयोग आधार होगा।[5]

यह देखते हुए कि महात्मा गांधी को भारतीय समाज, दर्शन और संस्कृति का व्यापक ज्ञान और अनुभव था, पंचायत प्रणाली पर बहुत ध्यान दिया गया था। मुक्ति संग्राम पर मार्गदर्शन देने से पहले उन्होंने पूरे भारत देश की यात्रा की है। उन्होंने गांवों को पूरी तरह से समझने के लिए एक ठोस प्रयास किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि जब तक गाँवों को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, तब तक वास्तविक भारतीय विकास संभव नहीं होगा। वे प्राचीन भारतीय ग्रामीण व्यवस्था पर आधारित शासन व्यवस्था से बहुत अधिक प्रभावित थे। पंचायत व्यवस्था के पुनर्गठन से ही ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण को संभव बनाया जा सकता है, ऐसा वे मानते थे। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय सामाजिक पुनर्निर्माण ग्रामीण–सामाजिक पुनर्निर्माण पर ही आधारित है और ग्रामीण सामाजिक पुनर्निमाण पंचायतों के पुनर्गठन से ही संभव हैं। जब देश के अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा, तो महात्मा गाधी ने देश के प्रत्येक नागरिक को स्वराज्य का सहभागी बनाने के लिए और प्रत्येक गाँव को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वराज्य प्राप्ति के पूर्व ही पंचायत के पुनर्गठन का संकल्प लिया।

महात्मा गाँधी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि देश को स्वतंत्र कराना जितना कठिन है, उससे भी कठिन है प्राप्त की गई स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान करना। इसलिये उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता प्राप्त कर लेने के बाद भी स्वतंत्रता तभी स्थाई होगी जब पंचायत सुदृढ़, समृद्ध एवं स्वावलम्बी होगी। स्वतंत्र भारत की आधार शीला पंचायत होगी। पंचायत पद्धति के द्वारा ही केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का गठन होगा न कि सरकार के द्वारा पंचायतों का गठन किया जाएगा। सरकार पंचायत पर आधारित रहेगी। सत्ता के विकेन्द्रीकरण करने के लिये पंचायत को सुदृढ़ एवं सशक्त करने पर उन्होंने जोर दिया। वे पंचायतों को सर्वाधिक अधिकार प्रदान करने के पक्ष में थे ताकि पंचायतें ग्रामों के उत्थान के लिए योजनाएँ बना सकें और उनको व्यवहार में ला सकें। वे चाहते थे कि अधिकार नीचे से उपर चले न कि उपर से नीचे की तरफ। इसीलिए वे जन सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रादेशिक संगठन बनाने और उनका अप्रत्यक्ष चुनाव करने के पक्ष में थे। वे केन्द्रीय सरकार को न्युनत्तम अधिकार देने के पक्ष में थे।

गाँधी जी जिस प्रकार की शासन व्यवस्था चाहते हैं उसे उन्होंने राम राज्य की संज्ञा दी है। इस शासन व्यवस्था में जिसका प्रारम्भिक स्वरूप उनके अनुसार संसदीय शासन प्रणाली के रूप में ही होगा, अधिकार एवं उत्तरदायित्व शासन के सभी स्तरों पर पूर्णतः स्पष्ट रूप से बँटै हुए होंगे, यद्यपि सम्प्रभुता का निवास केन्द्र में न होकर व्यक्तियों में निहित होगी। गाँधी जी थोरो के इस विचार से पूर्णतः सहमत हैं कि सरकार श्रेष्ठ वही है जो कम से कम शासन करती है।

अपनी उक्त धारणा के अनुसार गाँधी जी ने जिस प्रकार के शासन की कल्पना की है उसका रूप प्रजातंत्रीय शासन का तो है ही तथा उसे उन्होंने हिन्द स्वराज्य तथा राम राज्य का भी नाम दिया है। इस तरह का प्रजातंत्रीय शासन स्वयं सक्षम तथा स्वयं संचालित ग्रामों के एक ऐच्छिक संघ के रूप में होगा। अहिंसा तथा उसी से उत्पन्न अन्य सिद्धान्तों का पूर्णरूप से अनुक्रण करने के कारण गाँवों का प्रत्येक नागरिक स्वयं अपना शासक होगा। वह इस प्रकार का व्यवहार करेगा कि वह अपने पड़ोसी के लिए कभी बोझ न सिद्ध हो। इस प्रकार के ग्रम एक 'संघ' या 'समूह' का निर्माण करेंगे, जिनमें ऐच्छिक सहयोग ही शान्ति एवं सम्मानित जीवन की शर्त होगी।

।। संदर्भ ।।

1. पंचायत राजः गाधी जी, जन जीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद–14, फरवरी 1959, पृष्ठ संख्या–3.
2. पंचायत राजः वही, पृष्ठ संख्या– 6 से 8.
3. पंचायत राज, वही, पृष्ठ संख्या–6 से 8 तथा 'यंग इन्डिया', 28.5.1931, महात्मा गाँधी की उक्ति।
4. पंचायत संदेशः अंक 1–2, वर्ष 25, आमुख, विनोबा की उक्ति।
5. पंचायत राजः गाँधी जी, पृष्ठ संख्या 11, एवं हरिजन सेवक, 2.8.1942 में गाँधी जी का कथन।
6. जी0 एन0 धवनः पॉलिटिकल फिलॉसोफी ऑफ महात्मा गाँधी, पृष्ठ संख्या–318.
7. हरिजनः 28 जुलाई, 1946.